न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:—51 / 2017

उनवान

1. जाहुल हक पुत्र श्री असरू जाति मेव निवासी ग्राम कोटाखुर्द, तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राज0 ।

.... अपीलांट / वादी

बनाम

1. अलीबक्श पुत्र श्री माले खान जाति मेव,
2. पप्पू पुत्र श्री अलीबक्श जाति मेव,
3. आजम पुत्र अलीबक्श जाति मेव निवासीयान ग्राम कोटाखुर्द तहसील रामगढ़ जिल अलवर राज0 ।
4. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण नि0 लि0 कार्यालय रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..............असल रेस्पोडेन्टान / प्रति0

5. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... तर0 रेस्पो0 / प्रति0

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0:—58 / 2017

उनवान

1. जाहुल हक पुत्र श्री असरू जाति मेव निवासी ग्राम कोटखुर्द, तहसील रामगढ़ जिला अलवर, राज0 ।

.... अपीलांट / प्रतिवादी

बनाम

1. अलीबक्श पुत्र श्री माले खान जाति मेव, निवासी ग्राम कोटाखुर्द तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पो0 / वादी

30/11/19

2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
.... तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शकूर खान अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.01.2019

यह दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में दोनों दावों के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट व वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दो दावें अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किये कि विवादित आराजीयात ख0 नं0 430 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम कोटा खुर्द तहसील रामगढ़ जिला अलवर में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का तकसीम कर वादी के निस्फ हिस्से का अलग खाता व लगान कायम कराया जावें व कागजात माल में अमल दरामद किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावें दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया । विद्वान तहत न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत दोहली में दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 09.06.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दि0 09.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

चूंकि दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार व समान आराजीयात होने के कारण तहत न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों का एक साथ निर्णय किया है । इसलिए इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी ने आराजीयात का सड़क से लगता हुआ पूर्व का हिस्सा अपने दावे में मांगा है जो कानूनी खिलाफ एवं न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत है । जब विवादित आराजी का कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ तो प्रतिवादी उक्त आराजी ख0 नं0 430 का सड़क से लगता हुआ पूर्व दिशा का हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं है । आराजी ख0 नं0 430 रकबा 16 ऐयर का पूर्व दिशा में जो भाग सड़क से लगता हुआ है वह बेशकीमती है जिसका बाजारू भाव

अत्यधिक है जो भाग पश्चिम में है जिसका बाजारू भाव बहुत कम है जिसकी कीमतों में दिन रात का अन्तर है । इस पर भी न्यायालय ने गौर नहीं किया और पूर्व दिशा का सड़क से लगता हुआ भाग प्रतिवादी के हक में दिया गया व वादी को पश्चिम दिशा का हिस्सा दिया गया जो खिलाफ कानून व मौका है । उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी ने शामलात खर्चे से एक बोरिंग की गई है जिसका भी न्यायालय द्वारा इस निर्णय में कोई जिक्र नहीं किया गया है जबकि वादी के दावे में इस बात को लेकर पूर्व से ही चला आ रहा है । उक्त आराजी के बाबत तहसीलदार रामगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 26.04.2017 को उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 145 व 146(1) में जांच भेजी जिसमें भी साफ लिखा है कि आज दिनांक तक वादी जाहुल मौके के अनुसार बंटवारे से संतुष्ट नहीं है प्रतिवादी कब्जे के अनुसार संतुष्ट है । जब उक्त आराजीयात का पूर्व दिशा में पक्की सड़क लगती है तो आराजी का बंटवारा मुख्य सड़क से वादी व प्रतिवादी के बीच बराबर–बराबर होनी चाहिए जबकि तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया ।

बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी तथा तहत न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलांट के पीछे से बाला–बाला पारित किया है । तहत न्यायालय में अपीलांट की कोई विधिक तरीके से तामील नहीं हुई है और ना ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे कि अपीलांट को विधिवत् तामील हुई हो । कानूनन अपीलांट को विधिवत् तामील कराकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में वादी एवं प्रतिवादी के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अपने हक में तकसीम करने की डिक्री पारित करनी चाहिए थी जो नहीं की गई । उक्त आराजी का अभी तक कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है जिसके बाबत वादी ने डिक्लेरेशन का दावा अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया हुआ है जिस पर भी तहत न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया । तहत न्यायालय को अपना निर्णय करते समय कोर्ट कैम्प में दोनों पक्षकारों की सहमति प्राप्त करनी चाहिए थी और दोनो पक्षकार कैम्प में उपस्थित होने चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कहना है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी की खरीदशुदा आराजी है जिसमें दोनों का समान भाग है और वक्त खरीद से वादी व प्रतिवादी ने विवादित आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था और वादी के हिस्से की आराजी तरफ पूर्व की और सड़क डाम्बर की जो गांव के लिए जाती है वादी के हिस्से में आयी और प्रतिवादी के हिस्से में तरफ पश्चिम की ओर की आराजी है और वादी अपने हिस्से की आराजी में तरफ उत्तर की ओर टीन शेड का निर्माण कराया व तरफ दक्षिण की ओर बोरिंग करायी हुई है और वादी के हिस्से में आराजी में उसकी फसल ज्वार मौके पर खड़ी हुई है और वादी व प्रतिवादी सही प्रकार से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और वादी व प्रतिवादी की आराजी के बीच डोल बनी हुई है । तहत न्यायालय ने सही कुरेजात कायम किये हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है जिसमें हस्तक्षेप की

30/11/19

कोई आवश्यकता नहीं होने से दोनों अपीलें अपीलांट काबिल खारिजी के है । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1978 पेज 101, आर.आर.डी. 1985 पेज 694 पेश की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 का अवलोकन किया । प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

हमने तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2017 का अवलोकन किया गया । उभयपक्षों वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट ने तहत न्यायालय में धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत दावा पेश किया है । एक समान पक्षकार व एक समान आराजी होने से तहत न्यायालय में दोनों वादों का एक ही निस्तारण कर दिनांक 09.06.2017 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

तहत न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.06.2017 की अपील बहस यह कहते हुए पेश की है कि तहत न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर प्राथमिक डिक्री में ही विवादित आराजी का बंटवारा कर दिया तथा बिना साक्ष्य व कब्जे की जांच किये अंतिम डिक्री के समान निर्णय पारित कर दिया ।

कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्राथमिक डिक्री का परीक्षण किया । तहत न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की भाषा के विपरीत अंतिम व फाईनल डिक्री के अनुसार विवादित आराजी का बंटवारा करने के आदेश जारी किये हैं तथा फाईनल आदेश की भाषा में कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये हैं । अतः तहत न्यायालय का यह निर्णय कानून सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्ती के है । तहत न्यायालय को चाहिए था कि वह विवादित आराजी में से सह खातेदारों के मध्य मौके पर कब्जे काश्त व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का समान रूप से टिनेन्सी एक्ट की धारा 18–21 के प्रावधानों की पालना करते हुए कुरे रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश देते ।

इसलिए तहत न्यायालय की प्राथमिक डिक्री के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 निरस्त किया जाता है और तहत न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर प्राथमिक डिक्री के आदेश पुनः पारित करें ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्राथमिक डिक्री का आदेश राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत जारी करें तथा नियमों में प्रावधान अनुसार कुरे रिपोर्ट प्राप्त करके ही सह खातेदारों के मध्य खातेदारी के विभाजन आदेश जारी करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

30/1/19

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर